न्यायालयः - द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गौहद जिला भिण्ड (म०प्र०) (समक्षः श्री पी.सी. आर्य)

सिविल अपील कमांकः 06 / 15 फाइलिंग नंबरः 230303002262015 संस्थित दिनांकः—24 / 03 / 2015

- 1. ग्रूकदेव सिंह, आयु 46 साल
- अवतार सिंह, आयु 36 साल, पुत्रगण सिकत्तर सिंह, जाति सिख, निवासीगण ग्राम चक, बरौना परगना गौहद जिला भिण्ड म.प्र.

_____<u>वादीगण / अपीलार्थीगण</u>

वि रू द्ध

- 1. म.प्र. राज्य शासन द्वारा कलेक्टर महोदय, जिला भिण्ड
- 2. सहायक यंत्री, पी.एच.ई. विभाग, गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

----प्रत्यर्थीगण / प्रतिवादीगण

वादी / अपीलार्थीगण की ओर से श्री जी०एस० गुर्जर अधिवक्ता। प्रत्यर्थी / प्रतिवादीगण की ओर श्री ए०जी०पी० दीबान सिंह गुर्जर अधिवक्ता।

न्यायालय—कु0 शैलजा गुप्ता, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, गोहद, जिला भिण्ड द्वारा व्यवहारवाद प्रकरण कमांक—145 ए/2008 ई.दी. में पारित

निर्णय दिनांक 26/02/2015 से उत्पन्न सिविल अपील।

<u>—::- नि र्ण य —::-</u>

(आज दिनांक 9 अगस्त 2016 को घोषित किया गया)

01 अपीलार्थी गण की ओर से उक्त प्रथम सिविल अपील अंतर्गत धारा 96 एवं आदेश 41 नियम 1 सीपीसी के अंतर्गत व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 गोहद के सिविल वाद क्रमांक 145 ए/2008 में प्रदत्त निर्णय व डिक्री दिनांकित 26/02/2015 से विछुब्द होकर प्रस्तुत की है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्यर्थी / वादीगण के वाद को निरस्त किया गया है । 02 प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि सर्वे नंबर 627 एवं 634 के इन्द्राजित भूमिस्वामी वादी/अपीलार्थीगण हैं तथा सर्वे नंबर 628 की भूमि शासकीय होकर चरनाई के रूप में राजस्व अभिलेख में इन्द्राजित है। यह भी स्वीकृत तथ्य है कि वादी/अपीलार्थी की उक्त सर्वे नंबर 627 एवं 634 की भूमि को प्रत्यर्थी/प्रतिवादी शासन द्वारा अधिग्रहित नहीं किया गया है।

वादी / अपीलार्थींगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद स्थाई निषेधाज्ञा हेतु इस आधार पर पेश किया गया था कि मौजा बम्हौआ परगना गौहद के आ.नं–627 रकवा 1.30 आराजी नंबर 634 रकवा 0.30 के वादी / अपीलार्थीगण इन्द्राजित भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी होकर उस पर कृषि कार्य करते चले आ रहे हैं । वादी/अपीलार्थीगण मजदूरी करने के लिए जब बाहर चले गये, तब दिनांक-8/4/2008 को वादी/अपीलार्थीगण सरसों की फसल काटने के लिए आये तो उनकी विवादित जमीन पर प्रतिवादीगण ने एक बडा तालाब बना दिया, जो छः फीट गहरा मिट्टी खोदकर बनाया गया, जिससे 25 क्विंटल सरसों का नुकसान हो गया, जिसका नक्शा भी पेश किया है, वादी / अपीलार्थींगण इस जमीन से अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं । प्रतिवादीगण ने खेत में तालाब बनाने की कोई अनुमति नहीं ली और न ही वादी / अपीलार्थीगण को कोई मुआबजा दिया गया, न भूमि अधिगृहीत की गयी। जिसके संबंध में कलेक्टर भिण्ड एवं पी.एच.ई सहायक यंत्री गोहद को लिखित नोटिस दिनांक—16 / 4 / 2008 को दिया गया था, जिसकी मियाद पूरी होने पर कोई कार्यवाही न करने के कारण वादकारण उत्पन्न वाद पेश किया जाकर, वादग्रस्त भूमि के एवज में कृषि योग्य भूमि प्रथक से दिलाये जाने, हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति दिलाये जाने की मूल सहायता चाही गयी है ।

04— प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण क्रमांक 01 व 02 की ओर से बादोत्तर प्रस्तुत कर अभिवचन किया है कि भूमि वादी की है या नहीं उन्हें पता नहीं । म. प्र.शासन या प्रतिवादी क.—2 द्वारा सर्वे नंबर 627 रकवा 1.30 में कोई तालाब नहीं बना है, अपितु शासकीय सर्वे नंबर 273 रकवा 2.00 हैक्टे. की भूमि में तालाब बना होना बताया है, जो आम लोगों की भी जानकारी में होकर ग्राम पंचायत की सहमति से बना है । वादी/अपीलार्थीगण की फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ है । यदि शासन कोई भूमि प्राप्त करता है तो उसको विधिवत अधिगृहण करता है । अनावेदकगण द्वारा वादी/अपीलार्थीगण का बाद सव्यय निरस्त करने की प्रार्थना की है ।

05— विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर वाद प्रश्नों की रचना करते हुए उन पर विचारण कर सिविल वाद कमांक 145ए/2008 में दिनांक 27/07/2009 को व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 गोहद श्री मनीश शर्मा द्वारा निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद खारिज किया गया था, तत्पश्चात प्रथम सिविल अपील कमांक 01/14 में निर्णय दिनाक 29/04/14 को प्रकरण में प्रत्यावर्तित किया गया था, तत्पश्चात वाद की सुनवाई प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 गोहद कुमारी शैलजा गुप्ता द्वारा करते हुए उभय पक्ष की अपीलीय न्यायाधीश के निर्णय अनुसार साक्ष्य लेकर पुनः

दिनांक 26/02/15 को निर्णय पारित कर वादी /अपीलार्थीगण के वाद को पुनः खारिज किया है जिससे व्यथित होकर उक्त सिविल अपील पुनः पेश की गयी है।

वादी / अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत वर्तमान अपील के ज्ञापन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि उनकी मौजा बम्होरा तहसील गोहद जिला भिण्ड में सर्वे क्रमांक 627 रकवा 1.30 हैक्टे0 एवं सर्वे क्रमांक 634 रकवा 0.30 हैक्टे0 उनके स्वामित्व और अधिपत्य की भूमि है और वर्ष 2007–08 में उन्होंने सरसों की फसल उक्त भूमि में बोई थी तथा वे गरीब कृषक होने से मेहनत मजदूरी के लिए जाते हैं तथा फसल बोकर वे मजदूरी करने भितरवार जिला ग्वालियर फरबरी 2008 में चले गये थे और जब वे दिनांक 08/04/2008 को वापिस अपनी फर्सल काटने के लिए आये तो मौके पर उनके स्वामित्व के सर्वे कमांक 627 रकवा 1.30 हैक्टे0 भूमि में एक बड़ा सा तालाब खेत के बीचों—बीच 6 फिट गहरी मिट्टी खोदकर बना दिया और उसी मिट्टी से तालाब के चारों तरफ पार बना दी जिससे करीब 25 क्विंटल सरसों की फसल नष्ट हो गयी और उनकी भूमि कृषि योग्य नहीं रही। निर्मित किये गये तालाब को उन्होंने वाद के साथ संलग्न नजरी नक्शा में अ, ब, स, द द्वारा और मिट्टी की पार को क, ख, ग, प्रांसे चिन्हित किया है और वही भूमि उनके परिवार के जीवन यापन का एक मात्र सहारा थी। जिस पर प्रत्यर्थी / प्रतिवादी द्वारा तालाब का निर्माण किया गया, जिसके संबंध में अभिलेख पर उनकी ओर से मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश की गयी। अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण को प्रत्यावर्तित करते हुए साक्ष्य के लिए निर्देशित किया उनकी भी साक्ष्य करायी गयी किंत् विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने मौके पर दस्तावेजी साक्ष्य को पूरी तरह से दृष्टि ओझल करते हुए उनका वाद अवैधानिक तरीके से निरस्त कर दिया है तथा उनकी 90 प्रतिशत कृषि भूमि को तालाब में समाहित कर दिया है, जो तालाब प्रत्यर्थी / प्रतिवादी शासन के अधिकारियों के निर्देश पर टेकेंदारों द्वारा निर्मित किया गया और उनकी भूमि का कोई अधिग्रहण नहीं किया गया है। तालाब के निर्माण के संबंध में प्रत्यर्थी / प्रतिवादी द्वारा दी गयी साक्ष्य में भी स्वीकारोक्ति की गयी है किंतु उसे भी अनदेखा किया गया है। 🥢

क— अपील के ज्ञापन में यह आधार भी लिया है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य निर्णय में सर्वे नंबर—627 रकवा 1.30 हैक्टे0 पर खोदे गये तालब को पी०एच०ई विभाग द्वारा खोदा जाना नहीं माना, बल्कि ठेकेदार द्वारा खोदा जाना माना है और साक्ष्य में ठेकेदार का पी०एच०ई विभाग में ही लाइसेंसी ठेकेदार होना भी स्वीकार किया गया है और शासन के ही अधिकारियों द्वारा करायी गयी जांच में तालाब खोदे जाने की स्थिति स्पष्ट हुई है, इसलिए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय में निकाला गया निष्कर्ष विधि के विपरीत है इसलिए उसे अपास्त किया जाये और वादी/अपीलार्थी मूल वाद सव्यय डिकी किया जावे।

07— उक्त विचाराधीन सिविल अपील के निराकरण हेतु निम्न प्रश्न विचारणीय है :-

- 1— क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिविल वाद क्रमांक 145ए/08 में दिनांक 26/02/2015 को प्रदत्त निर्णय व डिकी विधि एवं साक्ष्य के प्रतिकूल होकर अपास्त किये जाने योग्य है ?
- 2— क्या वादी / अपीलार्थींगण का मूल वाद डिकी किये जाने योग्य है यदि हां तो प्रभाव ?

निष्कर्ष के आधार

वादी / अपीलार्थींगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में अपील ज्ञापन में उठाये बिन्दुओं और लिये गये आधारों की तरह ही तर्क करते हुए मूलतः इस बात पर बल दिया है कि सर्वे क्रमांक 627 रकवा 1.30 हैक्टे0 और सर्वे क्रमांक 634 रकवा 0.30 हैक्टे0 स्थिति ग्राम बम्होरा तहसील गोहद जिला भिण्ड में स्थित हो कर वादी / अपीलार्थीगण के स्वामित्व और आधिपत्य की भूमि रहे और वे उसके इंद्राजित भूमि स्वामी है। उनकी प्रत्यर्थी / प्रतिवादी शासन या शासन के किसी विभाग द्वारा कभी भी अधिग्रहित नहीं की गयी है, और न ही अधिग्रहण की कोई प्रक्रिया प्रारंभ की गयी है और अवैध तरीके से सर्वे नंबर 627 की भूमि के 90 प्रतिशत भू–भाग में बीचों–बीच तालाब का निर्माण 6 फिट गहरी मिट्टी खोदकर कर और खोदी गयी मिट्टी से ही तालाब की पार बना दी जिसके बारे में वादी / अपीलार्थीगण को कोई सूचना नहीं दी गयी और वे जब मजदूरी करने बाहर गये थे, तो उनकी सरसों की फसल बोई हुई थी और जब वे फसल काटने के लिए खेतों पर आये तब उनकी वस्तुस्थिति का पता चला जिस पर से उन्होंने कार्यवाही करते हुए खडी फसल 25 क्विंटल सरसों की नुकसानी की क्षतिपूर्ति तथा खोदे गये तालब के बदले में अन्य भूमि दिये जाने के संबंध में कलैक्टर भिण्ड एवं पी०एच०ई० विभाग सहायक यंत्री को धारा–80 सी0पी0सी0 का नोटिस दिया, उसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं करने पर सिविल अधिकारों के हनन होने व नुकसान होने से क्षतिपूर्ति दिलाये जाने या वैकल्पिक भूमि दिलाये जाने के लिए वाद प्रस्तुत किया। जिसे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अवैध तरीके से निरस्त कर दिया है, जबिक जो मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पेश की गयी है, उससे बिना भूमि अधिग्रहित किये तालाब का निर्माण वादी / अपीलार्थीगण की स्वामित्व की भूमि में किया जाना प्रमाणित है और वादी/अपीलार्थीगण की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का कोई खण्डन नहीं है, इसलिए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय व डिकी को अपास्त कर मूल वाद सव्यय डिकी किया जाये।

09— प्रत्यर्थी / प्रतिवादीगण की ओर से विद्वान ए०जी०पी० के द्वारा वादी / अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का विरोध करते हुए मूलत : यह तर्क किया है कि वादी / अपीलार्थीगण ने असत्य व काल्पनिक अभिवचन करते हुए दावा किया है और पी०एच०ई० विभाग गोहद द्वारा शासकीय भूमि के सर्वे कं0 273 रकवा 2 हैक्टे० जो कि बीहड़ किस्म की भूमि थी, उसमें कराया था। पंचायत बकनासा के आवेदन पत्र करने पर और पंचायत व ग्रामवासियों की सहमित से लोकहित में तालाब का निर्माण ठेकेदार के माध्यम से कराया गया है, जिससे वादी / अपीलार्थीगण का कोई फसल का नुकसान नहीं हुआ और सर्वे

नंबर 627 की भूमि में कोई तालाब नहीं बनाया गया है, इसलिए तालाब निर्मित करने के पूर्व वादी/अपीलार्थीगण को सूचना देने की आवश्यकता नहीं थी। वादी/अपीलार्थीगण कब कहां मजदूरी को गया इसका कोई प्रमाण नहीं है और शासकीय भूमि में तालाब निर्माण करने से वादी/अपीलार्थीगण की भूमि को अधिग्रहित किये जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, इसलिए प्रस्तुत सिविल अपील में कोई विधिक बल नहीं है और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संपूर्ण साक्ष्य का विधि सम्मत तरीके से मूल्यांकन करते हुए गुण—दोषों पर निर्णय किया है, इसलिए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाये और वादी/अपीलार्थीगण की प्रस्तुत अपील सव्यय निरस्त की जावे।

- 10— उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर चिंतन मनन किया गया, अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख तथा प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों का अध्ययन किया गया। वादी/अपीलार्थीगण द्वार मूल वाद विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने स्थाई निषेधाज्ञा के साथ सर्वे नंबर 627 रकवा 1. 30 हैक्टे0 में फसल के हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति सहित जिस भू—भाग पर तालाब निर्मित किया गया उसके बदले में अन्य कृषि भूमि दिलाये जाने की मांग की थी, जिसे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया और मूल वाद खारिज किया है जो इस आधार पर खारिज किया गया है कि प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण के द्वारा किये गये निर्माण के कारण वादी/अपीलार्थीगण को कोई क्षति नहीं हुई और प्रत्यर्थी/प्रतिवादी कमांक—1 व 2 के द्वारा तालाब निर्माण किया जाना प्रमाणित नहीं है और वाद का न तो उचित मूल्यांकन किया गया न ही पर्याप्त न्याय शुल्क अदा किया गया।
- 11— मूल अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि पूर्व में सिविल अपील कं0 01/14 निर्णय दिनांक 29/04/2014 के माध्यम से पूर्व निर्णय दिनांक 27/07/2009 को अपास्त करते हुए मौजा पटवारी, आर०आई0 व अपर तहसीलदार को साक्ष्य हेतु आहूत कर उन पर प्रतिवादी को प्रतिपरीक्षा का समुचित अवसर देते हुए पुनः उभय पक्षों की सुनवाई कर गुण—दोषों पर निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुक्रम में निर्दिष्ट पटवारी, आर०आई0 और नायब तहसीलदार वृत्त ऐण्डोरी के साक्ष्य वा०सा0—3 लगायत वा०सा0—5 के रूप में करायी गयी है उन पर प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिपरीक्षा भी की गयी, प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण की ओर से मूल वाद में कोई अतिरिक्त साक्ष्य पेश नहीं की गयी है।
- 12— वादी का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि सिविल वाद का निराकरण प्रबल संभावना के संतुलन के आधार पर किया जाता है। यह भी सुस्थापित सिद्धांत है कि वादी को अपना वाद स्वयं के समर्थन से प्रमाणित करना होता है। अर्थात वह प्रतिवादी की किसी कमजोरी का कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है। विचाराधीन मामले में भी यह देखना होगा कि वादी/अपीलार्थीगण के जो आधार है क्या उन्होंने विधिक रूप से उन्हें प्रमाणित किया है। चूंकि प्रकरण में उभय पक्षों की ओर से मौखिक और दस्तावेजी दोनों प्रकार की साक्ष्य पेश की गयी है, इसलिए समग्र साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त करना होगा।

वादी / अपीलार्थीगण की ओर से 5 साक्षी स्वयं वादी गुरूदेवसिंह (वा०सा0—1), पड़ोसी गांव का कास्तकार जगभान सिंह (वा०सा0—2) के अलावा मौजा पटवारी कमल किशोर शर्मा (वा०सा0—3), राजस्व निरीक्षक विनोद सिंह (वा०सा0—4) और नायब तहसीलदार वृत्त ऐण्डोरी आर०आर० रावत (वा०सा0—5) की साक्ष्य कराकर प्र०पी0—1 लगायत प्र०पी0—5 के दस्तावेज पेश किये। प्रत्यर्थी / प्रतिवादीगण की ओर से पी०एच०ई० विभाग गोहद के सहायक यंत्री पी०आर० गोयल (प्र०सा0—1) के खण्डन में अभिसाक्ष्य करते हुए प्र०डी०—1 लगायत प्र०डी०—3 के दस्तावेज पेश किये है।

जहां तक स्वत्व संबंधी बिन्दु है अभिलेख पर वा0सा0-1 लगायत वा0सा0-5 के अभिसाक्ष्य में यह तथ्य स्पष्ट रूप से आया है कि सर्वे कं0-627 राजस्व अभिलेख्िमें ब्रादी / अपीलार्थीगण क से नाम बतौर भूमि स्वामी अधिपत्यधारी कृषक के रूप में दर्ज है, जिसका रकवा 1.30 हैक्टे0 है एवं सर्वे कमांक 634 जिसका रकवा 0.30 हैक्टे0 है वह भी वादी / अपीलार्थीगण के नाम से राजस्व अभिलेख में बतौर भूमि स्वामी इंद्राजित है। प्रत्यर्थी / प्रतिवादीगण की ओर से स्वत्व संबंधी बिन्द् का खण्डन भी नहीं किया गया है, बल्कि मूलतः प्रत्यर्थी / प्रतिवादीगण का यह आधार है कि पी०एच०ई० विभाग गोहद द्वारा ग्राम बम्हौरा जो तालाब का निर्माण कराया गया है वह ग्राम पंचायत बकनासा के सरपंच के आवेदन पत्र पर कार्यवाही करते हुए शासकी बीहड़ की भूमि में सर्वे नंबर—273 में कराया जाना बताया गया है। अभिलेख पर जो दस्तावेजी साक्ष्य हैं जिसके प्र0पी0-11 के खसरा पंचशाला में भी वादी/अपीलार्थीगण का स्पष्ट इंद्राज है और प्र0पी0-5, प्र0पी0-7 लगायत प्र0पी0-10 के दस्तावेजों से भी वादी / अपीलार्थीगण के भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि सर्वे नंबर-627 एवं 634 होने की पृष्टि होती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी आलोच्य निर्णय कण्डिका 6 में वा0सा0–1 लगायत वा0सा0–3 की मौखिक साक्ष्य एवं प्र0पी0–11 और प्र0पी0—12 का विश्लेषण करते हुए वादी/अपीलार्थीगण की उक्त भूमि पर स्वत्व, आधिपत्य प्रमाणित होना माना है।

14— सर्वे कमांक—627 एवं 634 की भूमि वादी / अपीलार्थीगण की होने का प्रत्यर्थी / प्रतिवादीगण के द्वारा अभिवचनों में एवं दी गयी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य में कोई खण्डन स्वामित्व के बिन्दु पर नहीं किया गया है। इससे वादग्रस्त भूमि वादी / अपीलार्थीगण के स्वामित्व की होना तो विशुद्ध रूप से प्रमाणित होती है। जहां तक तालाब के निर्माण करने का प्रश्न है वादी / अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य में प्रत्यर्थी / प्रतिवादीगण के द्वारा तालाब का निर्माण उनके स्वामित्व की भूमि का कोई भी अधिग्रहण किये बगैर बिना अधिकार के सर्वे नंबर 627 की भूमि में किया जाना बताया गया है, जबिक प्रत्यर्थी / प्रतिवादीगण का इस आशय का खण्डन है कि तालाब का निर्माण तो उन्होंने कराया है जो कि विभाग के रिजस्टर्ड ठेकेदार संतोषी ड्रिलिंग कंपनी के माध्यम से कराया गया है, किंतु वह निर्माण सर्वे नंबर—627 की भूमि की बजाय शासकीय बीहड़ की भूमि सर्वे नंबर—273 में कराना बताते आये है, जिसके साथ एक हस्तलेख का नजरी नक्शा प्र0डी0—3 के रूप में (प्र0सा0—1) सहायक यंत्री पी0आर0 गोयल के

अभिसाक्ष्य के माध्यम से पेश किया गया है। जिस पर प्र0सा–1 के ए से ए भाग के हस्ताक्षर स्वयं उसके द्वारा बताये गये है। 17– प्र0डी0–4 के रूप में खसरा पंचशाला की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की है, जिसमें सर्वे क्रमांक 273 जिसका रकवा 2 हैक्टे0 है और बीहड़ के रूप में दर्ज हो कर शासकीय है उसमें तालाब शासकीय कॉलम नंबर—16 में इंद्राजित किया गया है, जिससे इस बात की पृष्टि तो होती है कि सर्वे नंबर—273 की भूमि शासकीय भूमि है लेकिन निर्माण क्या केवल सर्वे नंबर—273 में हुआ है या वादी / अपीलार्थीगण के स्वामित्व की भूमि में हुआ है, यह मूल्यांकित करना होगा। प्र0डी0—3 का नजरी नक्शा अस्पष्ट है, क्योंकि उसमें सर्वे नंबर—273 को पश्चिम दिशा में खोदा बताया है, जिनमें सरसों की फसल का भी उल्लेख किया है और गणेशजी का मंदिर उसके आगे बताया है किंतू खेत जिनमें सरसों की फसल अंकित की गयी है वे किनके है, यह प्र0डी0—3 से स्पृष्टे नहीं है, इसलिए प्र0डी0—3 को प्र0सा0—1 के अभिसाक्ष्य से प्रमाणित नहीं माना जा सकता है और वह अंदाज से बनाया ह्आ नजरी नक्शा दर्शित होता है, क्योंकि सर्वे नंबर—273 में तालाब का निर्माण कितने क्षेत्रफल में है इसका कोई उल्लेख प्र0डी0—3 में नहीं है न ही प्र0सा0—1 ने अपने अभिसाक्ष्य में स्पष्ट किया है, किंतु तालाब निर्मित होना अवश्य प्रमाणित होता है और तालाब निर्माण के संबंध में पी0आर0 गोयल (प्र0सा—1) के द्वारा यह बताया गया है कि ग्राम पंचायत बकनासा के सरपंच द्वारा दिनांक 04/03/2008 को उसे आवेदन तालाब निर्माण हेत् लिख कर दिया था, जिसे उसने अनुसंशा किये जाने के उपरांत जिला मुख्यालय पर भेज दिया था और आदेश प्राप्त होने पर तालाब खोदने की अनुमति आदेशानुसार दी गयी थी, जैसा कि पैरा–9 में उसने बताया है, किंतु अनुसंशा पत्र, तालाब खोदे जाने संबंधी आदेश की प्रति प्रकरण में पेश नहीं की गयी न ही उसके पेश न करने का कोई कारण स्पष्ट किया है न ही प्र0सा0—1 के साक्ष्य के समय ऐसा दस्तावेज अभिलेख पर आया है) जिसके संबंध में स्वयं विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्न किया गया था। ऐसे में अभिलेख पर प्रत्यर्थी / प्रतिवादीगण का भी कोई भी दस्तावेज पेश नहीं है, जिसमें तालाब निर्माण की अनुमति विभाग प्रमुख द्वारा प्रदान की गयी हो तथा मौखिक साक्ष्य के आधार पर ऐसा माना भी जाये कि निर्माण की अनुमति मिली थी तो वह अनुमति किन शर्तों व निर्देशों के साथ मिली, किस भूमि पर निर्माण के लिए प्राप्त हुई इसका भी कोई अभिसाक्ष्य नहीं दिया गया है।

15— तालाब का निर्माण होना स्वीकार किया गया है और तालाब की अनुमित का दस्तावेज प्रत्यर्थी / प्रतिवादी जो कि राज्य शासन के अधीन आने वाला पी०एच०ई० विभाग है और शासकी कोई भी कार्य बिना लिखित आदेश के नहीं होता है ऐसे में तालाब निर्माण के आदेश को पेश नहीं किया जाना प्रत्यर्थी / प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की उपधारणा को निर्मित करता है कि या तो इस आशय का कोई आदेश नहीं हुआ और यदि हुआ भी हो तो वह प्रत्यर्थी / प्रतिवादी के विरूद्ध रहा होगा अन्यथा प्रत्यर्थी / प्रतिवादी द्वारा उसे अवश्य प्रस्तुत किया जाता।

16— पी0आर0 गोयल प्र0सा0—1 ने अपने अभिसाक्ष्य में सर्वे क्रमांक 273 शासकीय बीहड की भूमि में तालाब निर्मित कराये जाने की साक्ष्य दी है। किंत् उसके संबंध में आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। जबकि इसके विपरीत वादी / अपीलार्थीगण की ओर से दी गयी मौखिक साक्ष्य में स्वयं वादी / अपीलार्थी गुरूदेव सिंह (वा०सा०-1) ने उनके स्वामित्व के सर्वे नंबर-627 की भूमि में पी०एच०ई० विभाग द्वारा तालाब का निर्माण उनकी अनुपस्थिति में बिना जानकारी के खंडी हुई सरसों की फसल को नष्ट करते हुए, जब वे मजदूरी के लिए भितरवार जिला ग्वालियर गये थे, तब किया जाना बताया गया है और साथ में यह भी कहा है कि खेत में 6 फिट गहरी मिट्टी खोदकर तालाब बना दिया, सरसों की 25 क्विंटल फसल की नुकसानी इससे हुई और खोदी गयी मिट्टी को ही चारों तरफ तालाब के पार के रूप में डाल दिया, जिसका समर्थन पडोसी ग्राम नौनैरा के जगभाग सिंह (वा0सा-2) ने भी अपने अभिसाक्ष्य में किया जिसने यह भी स्पष्ट रूप से बताया कि ग्राम नैनोरा और बम्हीरा पास–पास में है और ग्राम बम्हीरा में उसकी रिश्तेदारी है और कई वर्षों से वह वहां आता-जाता है और वादीगण को जानता है और सर्वे नंबर-627 की भूमि उसकी देखी हुई है, जो वादी / अपलार्थीगण की है, जिस पर पी०एच०ई० विभाग द्वारा जे0सी0बी0 मशीन से तालाब खोदा गया था और खडी सरसों की फसल नष्ट की गयी थी।

17— इस संबंध में हल्का पटवारी कमल किशोर शर्मा (वा०सा०—3) के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में सर्वे नंबर 627 और 634 की भूमि वादीगण के स्वामित्व के होने की पुष्टि करते हुए प्र०पी०—11 के खसरा पंचशाला की नकल, असल से तैयार कर देना भी उसने बताया है साथ ही प्र०पी०—12 का नक्शा अक्श भी तैयार करना बताया है और इस आशय और इस आशय की भी साक्ष्य दी है कि अपर तहसीलदार वृत्त ऐण्डोरी के प्रकरण क्रमांक—37 / 2008—09 / बी गुणित 121 जांच के संबंध में संचालित हुआ था और तत्कालीन राजस्व निरीक्षक अंजुम खां के साथ वह जांच को गया था। अंजुम खां के साथ काम करने, उनके हस्ताक्षर को पहचानने, अंजुम खां का देहांत होना उसने बताया है, जिसका कोई खण्डन नहीं है।

18— पटवारी (वा0सा—3) के द्वारा जांच उपरांत प्र0पी0—7 का जांच प्रतिवेदन एस0डी0ओ0 गोहद को तत्कालीन आर0आई0 अंजुम खां द्वारा हस्ताक्षरित कर दिया गया था। जिसके अनुसार सर्वे नंबर—627 रकवा 1.30 हैक्टे0 जो वादी/अपीलार्थीगण के स्वामित्व की भूमि है उसमें 7 जीरब लम्बाई एवं 2.40 कडीय चौडाई में तालाब बना हुआ पाया गया था तथा सर्वे नंबर 628 जो शासकीय चरनोई के नाम से खसरे में इंद्राजित है, उसमें भी तालाब बना हुआ पाया गया था तथा अंजुम खां द्वारा प्र0पी0—9 का जांच प्रतिवेदन अपर तहसीलदार गोहद को भी दिया गया था। जिसमें वादी/अपीलार्थीगण के तालाब खोदने से सरसों की फसल की हुई नुकसानी की बिन्दुवार जानकारी दी गयी थी। साक्षी ने यह भी बताया है कि वादी/अपीलार्थीगण की उक्त सर्वे क्रमांक की भूमि में 1.10 हैक्टे0 में तालाब हो गया है जो सर्वे क्रमांक के कुल रकवे की 90 प्रतिशत है और रकवा 1.10 हैक्टे0 पर सरसों की फसल थी, जो जानकारी अपर तहसीलदार को प्र0पी0—13 एवं प्र0पी0—14 के पत्रों के आधार पर देना बताया गया है। यह भी स्पष्ट किया है कि तत्कालीन अपर तहसीलदार श्रीमती नीना गौर थीं, जिनके द्वारा प्र0पी0—10

का पत्र कार्यपालन यंत्री पी०एच०ई० गोहद को तालाब निर्माण के संबंध में भेजा गया था और प्र0पी0—14 का पत्र जांच हेतु आर0आई० को दिया गया था। साक्षी ने यह भी स्पष्ट किया है कि तालाब किसके आदेश से खुदवाया गया था, इसका उल्लेख उक्त दस्तावेजों में नहीं है।

19— राजस्व निरीक्षक विनोद सिंह (वा०सा०—4) ने भी पटवारी वा०सा—3 की तरह प्र०पी०—7 प्र०पी०—9 प्र०पी०—10 प्र०पी०—13 लगायत प्र०पी०—15 के संबंध में साक्ष्य दी है और दस्तावेजों के आधार पर अभिसाक्ष्य देना बताते हुए व्यक्तिगत जानकारी से इंकार किया है। नायब तहसीलदार आर०आर० रावत (वा०सा—5) ने अपने अभिसाक्ष्य में अगस्त 2014 से वृत्त ऐण्डोरी में पदस्थ होना बताते हुए अपर तहसीलदार वृत्त ऐण्डोरी के प्रकरण में क्रमांक 37/2008—09/बी—121 के संबंध में इस आशय की साक्ष्य दी है कि उक्त प्रकरण वादी/अपीलार्थीगण के प्र०पी०—6 के आवेदन पर से संचालित हुआ था, जो वर्तमान में उसके प्रभार में है जिसे साथ लेते हुए उसने उक्त प्रकरण की कार्यवाही तत्कालीन अपर तहसीलदार श्रीमती नीना गौर द्वारा की जाना तथा यह भी कहा है कि अपर तहसीलदार की कार्यवाही को किसी विष्ठ अधिकारी द्वारा अपास्त नहीं किया गया है और अन्य कोई कार्यवाही भी नहीं हुई है।

प्र0पी0-6 का आवेदनपत्र, वादी / अपीलार्थीगण द्वारा अवैधानिक तौर पर उनके स्वामित्व की भूमि में तालाब खोदकर फसल नष्ट करने की क्षतिपूर्ति दिलाये जाने हेत् एस०डी०ओ० गोहद को दिया गया था। जिस पर से कार्यवाही संचालित होना, पी०एच०ई० विभाग को आहूत किये जाने की टीप उसमें लगी हुई है। जिस पर से प्रकरण कं0—37 / 2008—09 / बी—121 संचालित होना और उसमें जांच करायी जाना, जांच में प्र0पी0-5, प्र0पी0-7 व प्र0पी0-9 के प्रतिवेदन तत्कालीन आर0आई0 द्वारा दिया जाना प्रकट होता है, जिससे इस बात की पृष्टि हो रही है कि पी0एच0ई0 विभाग गोहद द्वारा ग्राम बम्हौरा में जो तालाब का निर्माण कराया गया वह तालाब का निर्माण शासकीय सर्वे क्रमांक 628 के अलावा वादी / अपीलार्थीगण के स्वामित्व की सर्वे कं0—627 रकवा 1.10 हैक्टे0 भूमि में कराया गया, जो 7 जरीब लम्बाई में 2.40 कडी चौडाई में निर्मित किया गया जैस कि प्र0पी0–7 एवं प्र0पी0–9 में उल्लेख है। प्र0पी0–10 एवं प्र0पी0—15 के पत्र अपर तहसीलदार द्वारा उक्त जांच के दौरान ही कार्यपालन यंत्री पी०एच०ई० गोहद को प्र0पी0—6 के आवेदन पत्र के आधार पर भेजा गया था। जिसमें तीन बिन्द्ओं पर जानकारी चाही गयी थी कि उनके द्वारा किस सर्वे नंबर पर तालाब का निर्माण कराया गया है यदि आवेदक के सर्वे नंबर पर निर्माण कराया गया तो शासन की स्वीकृति प्राप्त की गयी या नहीं यदि आवेदक की भूमि पर निर्माण कराया गया तो उसकी भूमि व फसल का मुआवजा प्रदान किया गया अथवा नहीं और यदि प्रदान किया गया तो कितना और यदि नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया ? जिनका पी0एच0ई0 विभाग गोहद द्वारा कोई भी जबाव दिये जाने का कोई दस्तावेज अभिलेख पर नहीं है, न ही उसके संबंध में सहायक यंत्री पी०एच०ई० गोहद द्वारा अपने मौखिक अभिसाक्ष्य में कोई स्थिति स्पष्ट की गयी हो, बल्कि पैरा–7 में उसका भी यह कहना रहा कि बिना सूचि देखे वह यह नहीं बता सकता कि कितने तालाबों का निर्माण गोहद में हुआ तथा कितने क्षेत्रफल में तालाब निर्मित कराये गये, बल्कि पैरा—8 में यह स्वीकार किया है कि उनके विभाग के विरष्ट अधिकारियों के आदेशानुसार ठेकेदारों द्वारा तालाब का निर्माण कराया जाता है और उनके द्वारा केवल सुपरवीजन वैल्युवेशन और रिकमण्डेशन किया जाता है यदि किसी पंचायत, सरपंच के माध्यम से कोई आवेदन तालाब खुदवाने के लिए प्राप्त होता है तो वे अनुसंशा के साथ विरष्ट अधिकारियों को भेज देते है और अंतिम आदेश प्राप्त होने पर ठेकेदार द्वारा निर्माण कराया जाता है। खुदायी का भुगतान उनके विभाग द्वारा मुख्यालय से होता है तथा वह केवल वेल्युवेशन करके भेजते है। इससे यह भी स्पष्ट है कि पी०एच०ई० विभाग, रिजस्टर्ड ठेकेदारों के माध्यम से तालाबों का निर्माण करता है।

प्र0पी0—10 एवं प्र0पी0—15 के पत्र पर पी0एच0ई0 विभाग द्वारा तत्कालीन अपर तहसीलदार का कोई जबाव प्रस्तुत नहीं करना और बिन्दुओं पर विभाग की स्थिति स्पष्ट न करना इस उपधारणा के बल देता है कि पी०एच०ई० विभाग के द्वारा तालाब का निर्माण शासन की स्वीकृति के बिना कराया एवं वादी / अपीलार्थीगण की भूमि में ठेकेदार के माध्यम से करा दिया गया और उसका कोई मुआवजा जमीन, फसल का प्रदान नहीं किया गया है, क्योंकि यदि ऐसा किया गया होता तो पी०एच०ई० विभाग द्वारा उक्त पत्र का जबाव देकर स्थिति स्पष्ट की जाती और साक्ष्य में भी प्र0सा0–1 के द्वारा बताया जाता। इससे भी वादी/अपीलार्थीगण के इस आधार को बल मिलता है कि उनके स्वामित्व की भूमि सर्वे नं0 627 के 1.10 हैक्टे0 रकवा में बिना अधिकार, अवैधानिक तरीके से तालाब का निर्माण करा दिया गया और क्षति नहीं दी गयी। इस संबंध में अभिलेख पर प्रबल दस्तावेजी साक्ष्य है और उसके खण्डन में कोई मौखिक साक्ष्य नहीं आयी है। दस्तावेजी साक्ष्य के संबंध में न्याय दृष्टांत हेमराज विरुद्ध बलभद्र 1991 भाग-1 एम0पी0डब्लू0एन0 शोर्टनोट-186 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित यह प्रतिपादित भी किया गया है कि दस्तावेजी साक्ष्य के विरूद्ध मौखिक साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए।

22— पी०आर गोयल (प्र०सा०—1) द्वारा इस आशय की भी साक्ष्य दी गयी है कि ग्राम बम्होरा में केवल एक ही तालाब का निर्माण कराया गया है जो सरपंच के प्र०डी०—1 आवेदन पर से अनुसंशा पश्चात मुख्यालय से आदेश प्राप्त होने पर कराया गया था। उसने यह भी स्वीकार किया है कि तालाब का निर्माण संतोषी ड्रिलिंग कंपनी द्वारा किया गया था जो उनके विभाग का पूर्व से पंजिकृत ठेकेदार है और टैण्डर की कार्यवाही मुख्यालय पर हुई थी। इससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि तालाब का निर्माण पी०एच०ई० विभाग द्वारा ही रिजस्टर्ड ठेकेदार से कराया गया। ऐसे में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय कण्डिका 10, 11 एवं 14 में यह निष्कर्ष कि तालाब किसके आदेश किसके द्वारा खुदवाया गया था इस बावत वादी / अपीलाथीगण द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया इसलिए तालाब का निर्माण पी०एच०ई० विभाग द्वारा कराया जाना प्रमाणित नहीं माना जा सकता है, यह निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के प्रतिकृत है और तालाब का निर्माण पी०एच०ई० विभाग

के द्वारा ठेकेदार के माध्यम से कराया जाना, ठेकेदार का नाम भी स्पष्ट रूप से आना पाया गया है, इसलिए वादी को यह प्रमाण देने की आवश्यकता प्रकरण में नहीं रह जाती है कि तालाब किसके आदेश पर और किसके द्वारा खोदा गया, न ही ऐसी स्थिति में चक्षुदर्शी साक्षी के तौर पर साक्ष्य की उपेक्षा की जा सकती है, क्योंकि तालाब का निर्माण होना स्वीकृत तथ्य है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–58 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि स्वीकृत तथ्य को प्रमाणित करने के लिए अतिरिक्त सक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती है। इस संबंध में माननीय सवोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत खतचरा ब्रदर्स विरूद्ध एम०ए० मेरी मॉल 1999 भागे—1 एम0पी0डब्लू0एन0 (सुप्रीम कोर्ट) नोट—189 में दिया गया मार्गदर्शन अवलोकनीय है तथा माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्व ारा इस संबंध में न्याय दृष्टांत अंजूमन इस्लामिया छतरपुर विरूद्ध नजीम अली 1982 जे0 ए0 जे0 पैज-544 भी अवलोकनीय है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि कोई तथ्य स्वीकार कर लिया जाता है तो वह सारवान साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगा और सभी पक्षकारों पर लागू होगा, जो कि तालाब पी0एच0ई0 विभाग द्वारा निर्मित कराये जाने के बिन्दु पर प्रकरण में लागू किये जाने योग्य है।

वादी / अपीलाथीगण के दस्तावेजी साक्ष्य से पी०एच०ई० विभाग द्व ारा ग्राम बम्हौरा में निर्मित कराया गया एक मात्र तालाब सर्वे नं0 273 में जो बीहर के रूप में दर्ज है उसमें कराये जाने की पृष्टि नहीं होती है, बल्कि प्र0पी0—5 लगायत प्र0पी0—15 के दस्तावेजों से तालाब शासकीय चरनोई भूमि सर्वे नंबर–628 के साथ–साथ वादी / अपीलाथीगण के स्वामित्व के सर्वे नंबर 627 रकवा 1.10 हैक्टे0 में भी निर्मित होना प्रमाणित होता है और स्वीकृत तौर वादी / अपीलाथीगण के स्वामित्व की उक्त भूमि को अधिकृत प्रत्यर्थी / प्रतिवादीगण के द्वारा नहीं किया गया है, क्योंकि अधिग्रहण को प्रमाणित करने का भार तो प्रत्यर्थी / प्रतिवादीगण पर है, किंत् उन्होंने अभिवचनों में केवल यह खण्डन किया है तथा तालाब का निर्माण शासकीय भिम सर्वे नंबर 273 पर करना बताते है जो प्रमाणित नहीं हुआ है, इसलिए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष कि तालाब का निर्माण पी०एच०ई० विभाग द्वारा नहीं कराया गया है उसे स्थिर नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि वह अभिलेख के प्रतिकूल निष्कर्ष है और कोई भी रजिस्टर्ड ठेकेदार जो शासकीय विभाग के आदेश पर कार्य करता है वह शासन की एजेंसी के रूप में ही कार्य करता है, ऐसा माना जाता है। इसलिए निर्माण किस अवधि में हुआ और किन अधिकारी, कर्मचारीयों की देख रेख में हुआ इस आशय का साक्ष्य वादी/अपीलाथीगण को देने की आवश्यकता नहीं है। जिसके संबंध में आलोच्य निर्णय कंण्डिका 16 में निकाला गया निष्कर्ष भी विधि सम्मत नहीं है और उसे स्थिर नहीं रखा जा सकता है, बल्कि समग्र साक्ष्यों के आधार पर यही स्थापित होता है प्रत्यर्थी / प्रतिवादीगण जो राज्य शासन के अधीन आने वाला विभाग है, उनके द्व ारा ही तालाब का निर्माण बिना भूमि अधिग्रहित किये कराया गया है। इसलिए वादी / अपीलाथीगण इस आशय की घोषणा प्राप्त करने के वैधानिक अधिकारी है जैसी कि उन्होंने मूल आवेदन पत्र की सहायता कंण्डिका 14 (अ) के रूप में चाही गयी है।

चूंकि मौके पर सर्वे नंबर 627 रकवा 1.10 हैक्टे0 भूमि में तालाब निर्मित होकर वर्तमान में भी अस्तित्व में बताया गया है, ऐसे में स्थाई निषेधाज्ञा किसी भी प्रकार की प्रदान नहीं की जा सकती जहां तक नुकसानी का बिन्दू है वादी / अपीलाथीगण द्वारा मौखिक साक्ष्य में 25 क्विंटल सरसों का नुकसान बताया गया है। राजस्व कर्मचारियों तत्कालीन आर0आई0, पटवारी द्वारा जो मौके पर जाकर जांच की गयी और जांच प्रतिवेदन दिया गया उसमें रकवा 1.10 हैक्टे0 में सरसों की फसल का नुकसान बताया गया है, किंत् वह 25 किंवटल सरसों हो सकती थी या नहीं ऐसा स्पष्ट रूप से नहीं आया है। 90 प्रतिशत भू–भाग की फसल नष्ट होना ही दर्शित होता है, किंत् उसके मुआवजे के लिए वादी / अपीलाथीगण विधिक रूप से जिला कलैक्टर भिण्ड को आवेदन करके राशि प्राप्त कर सकते है सिविल न्यायालय राशि को निर्धारित करने हेतू सक्षम नहीं है, क्योंकि उसके लिए भी जांच की आवश्यकता होगी कि किस किस्म की फसल थी, कैसी भूमि थी, कितनी बुआई हुई, कितनी पैदावार संभव थी और तालाब खोदने के पूर्व के वर्षों में कितनी फसल पैदा हुई तभी क्षति की राशि का प्रभाजन किया जा सकता है, जिसके संबंध में साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है, ऐसी क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण प्रस्तुत अपील में संभव नहीं है।

चूंकि विवादित भू-भाग में तालाब अस्तित्व में है, तालाब को समाप्त किया जाना संभव नहीं है और राज्य शासन विधिक प्रक्रिया के तहत कोई भी भूमि भूमिअर्जन अधिनियम के अंतर्गत लोक प्रयोजन के लिए अधिग्रहित कर सकती है। वादी / अपीलाथीगण के द्वारा वैकल्पिक भूमि की मांग की गयी है जिसका क्षेत्राधिकार भी राजस्व न्यायालय को ही होता है और उसके संबंध में भी वादी / अपीलाथीगण जिला कलैक्टर को कार्यवाही के लिए आवेदन करने को स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत वाद के माध्यम से वादी / अपीलाथीगण के पक्ष में घोषणात्मक स्वरूप की डिकी ही प्रदान की जा सकती है। चाही गयी स्थाई निषेधाज्ञा व क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित कर इस न्यायालय द्वारा प्रदान नहीं करायी जा सकती है। जहां तक वाद मूल्यांकन व न्यायशुल्क का प्रश्न है इस संबंध में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय कण्डिका—19 का निष्कर्ष भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है, क्योंकि विवादित भूमि कृषि भूमि थी, जिस पर लगान दिया था लगान की बीस गुना राशि के आधार पर स्वत्व हेतु मूल्यांकन करते हुए स्थाई निषेधाज्ञा हेतु 400/- रूपये मूल्यांकित कर वाद व्यय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के न्यायालय में दिनांक 31/10/2008 को पेश किया गया था जो वाद मुल्यांकन न्यायशुल्क अधिनियम 1870 की धारा–7(v)(क) के आधार पर किया जाना पाया जाता है, चूंकि नुकसानी की राशि निश्चित नहीं है और नुकसानी की राशि इस न्यायालय द्वारा दिलायी जाना संभव नहीं है ऐस ऊपर जा चुका है 🚺 इसलिए वाद मूल्याकन व घोषणात्मक स्वरूप को देखते हुए उचित व पर्योप्त होना निर्धारित किया जाता है।

26— इस प्रकार से उपरोक्त मौखिक दस्तावेजी साक्ष्य, विधिक स्थिति और परिस्थितियों का समग्र रूप से विश्लेषण करने से यह पाया जाता है कि वादी/अपीलाथीगण के स्वामित्व के सर्वेकंमाक 627 का रकवा 1.10 हैक्टै0 भूमि पर प्रत्यर्थी/प्रतिवादी कमांक—2 पी0एच0ई विभाग जो कि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी कं0—1 के अधीन आता है उसने बिना भूमि अधिग्रहित कराये बिना पूर्व स्वीकृति के अवैधानिक तरीके से तालाब का निर्माण कराया , जिससे निश्चित तौर पर वादी/अपीलाथीगण को आर्थिक क्षति पहुंची है ऐसे में वादी/अपीलाथीगण मूल वादपत्र की सहायता कण्डिका 14 (अ) के अंतर्गत घोषणात्मक स्वरूप की आज्ञप्ति प्राप्त करने के वैधानिक अधिकारी होने पाये जाते है। फलतः प्रस्तुत प्रथम सिविल अपील वाद विचार उपरांत आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का व्यवहार वाद कमांक 145ए/08 ई०दी० में दिनांक 26/02/2015 को घोषित निर्णय व डिकी को अपास्त करते हुए वादी/अपीलाथीगण के पक्ष में निम्न आशय की आज्ञप्ति प्रदत्त की जाती है।

अ— यह घोषित किया जाता है कि वादी/अपीलाथीगण के स्वामित्व की कृषि भूमि सर्वे नं0 627 रकवा 1.30 हैक्टे0 में से रकवा 1.10 हेक्टे0 स्थित ग्राम बम्हौरा तहसील गोहद जिला भिण्ड में बिना भूमि अधिग्रहित किये बिना पूर्व स्वीकृति के अवैधानिक तरीके से प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण के द्वारा अपनी अधिग्रहित एजेंसी के माध्यम से तालाब निर्माण करके वादी/अपीलाथीगण को आर्थिक क्षति पहुंचाई जिसके नुकसान की क्षति पूर्ति प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण से वह वैधानिक कार्यवाही कर प्राप्त करने का अधिकारी है।

ब— प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए प्रत्यर्थी / प्रतिवादीगण, वादी / अपीलार्थीगण का प्रकरण व्यय भी अवैध तालाब निर्माण की स्थिति को देखते हुए वहन करेंगे जिसमें अभिभाषक शुल्क प्रमाणित किये जाने पर अथवा तालिका मुताबिक जो भी कम हो जोड़ा जाये।

तद्नुसार डिकी तैयार की जावे।

निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस भेजा जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

दिनांक- 9 अगस्त 2016

(पी०सी०आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड (पी०सी०आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड